भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2208

05.08.2024 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन

2208. श्री बैजयंत पांडा:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कोई नई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो लक्षित अपशिष्ट के प्रकारों तथा प्रयोग की जा रही विधियों सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों में स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पहलों का पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ने का अनुमान है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट के पांच प्रकारों जैसे कि प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर और उपयोग किया गए तेल में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए नियम लागू किए हैं। ये विनियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए एक सांविधिक ढांचा प्रदान करते हैं और ''अपशिष्ट से अर्थ'' और इस प्रकार एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रचालन का एक साधन बन गए हैं। इस विनियम के माध्यम से अपशिष्ट के एकत्रण और निपटान से हटाकर अपशिष्ट के पुनर्चक्रण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ई-अपशिष्ट के ईपीआर के अंतर्गत शामिल वस्तुओ की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। ई-अपशिष्ट के लिए पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा सृजित ईपीआर प्रमाण-पत्र अभिज्ञात धातुओं के संदर्भ में होते हैं। बैटरी अपशिष्ट संबंधी ईपीआर अभिज्ञात सामग्रियों के पुनर्चक्रण पर आधारित होती है। ईपीआर विनियमों में अपशिष्ट स्त्रोतों के प्रकार के आधार पर पुन:चक्रित सामग्री के पुन:उपयोग और उनके उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इनसे नए व्यवसाय मॉडल के विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन और रीसाइक्लिंग उद्योग के विकास सहित अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने और इस प्रकार पर्यावरणीय सुरक्षा और संसाधन संरक्षण होने की आशा है।

****